


**वर्ष 2012-13**  
**पुलिस विभाग जनपद ऊधम सिंह नगर**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005**  
**पर 17 बिन्दुओं का मैनुअल**



(मुकेश कुमार)  
 अपर पुलिस अधीक्षक/  
 लोकसूचना अधिकारी  
 ऊधम सिंह नगर।

(नीलेश आन्नद भरणे)  
 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
 ऊधम सिंह नगर।

## जनपद ऊधमसिंह नगर एक दृष्टि में

जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन जनपद नैनीताल से अलग होकर दिनांक 29.9.1995 को पृथक जनपद के रूप में हुआ था। जनपद की कुल लम्बाई थाना जसपुर से थाना खटीमा तक लगभग 175 किमी० है, जबकि चौड़ाई लगभग 15 से 20 किमी० है। इस जनपद की उत्तरी सीमा नैनीताल, चम्पावत तथा नेपाल सीमा से लगी हुई हैं, पूर्व में पीलीभीत बहेड़ी (बरेली), दक्षिण में बिलासपुर, रामपुर व मुरादाबाद तथा पश्चिम दिशा में बिजनौर उ०प्र० की सीमा से लगा हुआ है। जनपद क्षेत्रान्तर्गत थाना खटीमा की लगभग 15 किमी० की सीमा नेपाल राष्ट्र से मिलती है।

कुमायूं परिक्षेत्र की तराई में स्थित यह जनपद कुमायूं परिक्षेत्र का प्रवेश द्वार है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र 28°58' व 29°27" उत्तरी अक्षांश तथा 79°25' व 79°33' पूर्व देशान्तर के बीच स्थित हैं। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 210 मीटर हैं। जनपद का सॉख्यिकी विवरण निम्नवत् है:-

<b>भौगोलिक क्षेत्रफल</b>	— 3358.24 वर्ग कि०मी०
<b>कुल जनसंख्या</b>	— 12,35,614(लगभग वर्ष 2001),वर्तमान में लगभग 16 लाख।
<b>ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या</b>	— 8,32,600
<b>शहरी क्षेत्र की जनसंख्या</b>	— 4,28,014
<b>कुल ग्राम सभा</b>	— 309
<b>कुल ग्राम</b>	— 688
<b>कुल आबाद ग्राम</b>	— 674
<b>कुल गैर आबाद ग्राम</b>	— 14
<b>लोकसभा क्षेत्र</b>	— लोकसभा क्षेत्र नैनीताल-ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत ।
<b>विधानसभा क्षेत्र</b>	— 09, बाजपुर, (एस०सी), नानकमत्ता (एस०टी०), रूद्रपुर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा(सात सामान्य सीट)।

जनपद में 09 विधान सभा क्षेत्र क्रमशः जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, (एस०सी०), गदरपुर, रूद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता(एस०टी०) एवं खटीमा हैं। यह जनपद 04 नैनीताल लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

पुलिस विभाग जनपद ऊधम सिंह नगर ।

भारत सरकार द्वारा " सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 " सम्बन्धी कानून पारित किये जाने के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना

बिन्दु संख्या- 1

पुलिस विभाग की विषिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य-

पुलिस बल की विषिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य का विवरण अंकित किये जाने से पूर्व की संरचना का विवरण दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जो निम्नवत है:-

पुलिस विभाग का संगठन राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय स्तर पर महानिरीक्षक अथवा पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित होता है। पुलिस विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है-

- |   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 1. पुलिस महानिदेशक                          | - | राज्य स्तर पर      |
| 2. स्थानीय महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक | - | परिक्षेत्र स्तर पर |
| 3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक      | - | जनपद स्तर पर       |

जनपद स्तरीय पुलिस संगठन को मुख्यतः पाँच भागों में विभक्त किया गया है-

1. कानून व्यवस्था/ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु।
2. स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन हेतु।
3. रिजर्व पुलिस बल।
4. संचार व्यवस्था हेतु।
5. कार्यालय प्रबंधन हेतु।

कानून व्यवस्था / शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	जनपद-ऊधम सिंह नगर	जनपद-ऊधम सिंह नगर
पुलिस अधीक्षक	परिक्षेत्र काशीपुर	जनपद-ऊधम सिंह नगर
अपर पुलिस अधीक्षक	परिक्षेत्र रुद्रपुर	जनपद-ऊधम सिंह नगर
क्षेत्राधिकारी-खटीमा	थाना खटीमा	रि० चौकी मझोला, चौकी बाजार, चकरपुर, झनकईया, झनकट
	थाना नानकमत्ता	रि० चौकी प्रतापपुर
क्षेत्राधिकारी-सितारगंज	थाना सितारगंज	रि० चौकी शक्तिफार्म, सिडकुल
	थाना किच्छा	चौकी पुलभट्टा, दरऊ, कलकत्ता फार्म व बरा
क्षेत्राधिकारी-रुद्रपुर	थाना रुद्रपुर	चौकी आर्दश कालौनी, बाजार, आवास विकास, ट्रांजिट कैम्प व रम्पुरा
	थाना पंतनगर	रि० चौकी सिडकुल
क्षेत्राधिकारी-बाजपुर	थाना गदरपुर	रि० चौकी गूलरभोज, सकैनिया
	थाना बाजपुर	रि० चौकी केलाखेडा, बन्नाखेडा, सुल्तानपुरपट्टी, चौकी दोराहा, बेरिया दौलत व बरहनी
	थाना दिनेशपुर	

क्षेत्राधिकारी-काशीपुर	थाना काशीपुर,	रि०चौकी आईटीआई, कुन्डेश्वरी, चौकी बांसफोडान, कटोराताल, टांडा उज्जैन व पैगा
	थाना कुन्डा	रि० चौकी सूर्या व चौकी शिवराजपुरपट्टी
	थाना जसपुर	रि० चौकी नादेही, चौकी बाजार, पतरामपुर, सूतमिल व धर्मपुर
क्षेत्राधिकारी-रिजर्व पुलिस लाईन / कार्यालय / यातायात	रिजर्व पुलिस लाईन, पुलिस कार्यालय, यातायात	

2. स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन हेतु-

जनपद अभिसूचना कार्यालय  
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

अभिसूचना इकाईयाँ
खटीमा
नानकमत्ता
सितारगंज
किच्छा
रुद्रपुर
गदरपुर
मेलाघाट
पंतनगर
बाजपुर
काशीपुर
जसपुर

3. रिजर्व पुलिस बल :-

प्रतिसार निरीक्षक  
पुलिस लाईन – ऊधम सिंह नगर।

उपनिरीक्षक	मुख्य आरक्षी	आरक्षी	चतुर्थ श्रेणी
------------	--------------	--------	---------------

संचार व्यवस्था हेतु :-

पुलिस उपाधीक्षक संचार

।

रेडियो निरीक्षक	आर.एम.ओ.	आर.एस.ओ.	एच.ओ.एम.	एच.ओ.	मैसंजर प्यून
-----------------	----------	----------	----------	-------	--------------

कार्यालय प्रबन्धन हेतु :-

प्रधान लिपिक

सहायक लिपिक	कानि० एम०	उर्दू अनुवादक / सह-कनिष्ठ लिपिक
-------------	-----------	---------------------------------

आंकिक

सहायक आंकिक	कानि० एम०	उर्दू अनुवादक / सह-कनिष्ठ लिपिक
-------------	-----------	---------------------------------

अग्निशमन व्यवस्था :-

जनपद में वर्तमान में पाँच फायर स्टेशन (खटीमा, रूद्रपुर, काषीपुर, सितारगंज व जसपुर) स्थापित हैं। शासनादेश संख्या: 206/XX(4)-31/फायर-06/2007 गृह अनुभाग-4 दिनांक अप्रैल 10,2007 शासनादेश संख्या: 139/XX(4)-37/फायर-06/2008 गृह अनुभाग-4 दिनांक फरवरी 27,2008 के द्वारा क्रमशः सिडकुल सितारगंज एवं सिडकुल पंतनगर हेतु दो अन्य फायर स्टेशन स्थापित किये गये हैं। बाजपुर जो फायर स्टेशन काषीपुर से 27 कि०मी० की दूरी पर है, फायर स्टेशन काषीपुर से कवर होता है। वर्तमान में बाजपुर में अस्थाई फायर स्टेशन स्थापित है।

**विशिष्टियाँ :-**

भारत वर्ष की स्वतन्त्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा पुलिस को स्थानीय विधि व्यवस्था के अधीन किया गया था। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार पुलिस का पर्यवेक्षण राज्य सरकार में निहित होता है। संविधान की अनुसूची 06 में राज्य सूची-02 एवं संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार पुलिस पर अन्तिम नियंत्रण राज्य सरकार का है। जिस प्रकरण में राज्य सरकार को विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उस प्रकरण में कार्यपालिका, राज्य सरकार की कार्यपालिका में निहित होगी। पुलिस पर यह नियंत्रण गृह मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावी होता है तथा अन्तोगत्वा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद द्वारा नियंत्रित होता है। जनपद ऊधम सिंह नगर में राजस्व पुलिस की व्यवस्था नहीं है तथा जनपद में 31 व 46 पी0ए0सी की दो वाहिनियाँ स्थापित हैं। जनपद की सीमायें नेपाल व उत्तर प्रदेश से लगी हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में एक बम डिसपोजल स्कवाड व त्वरित कार्य बल व एक श्वान दल (डाग स्कवाड) भी नियुक्त हैं। अपराधों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद में विशेष विवेचना शाखा का गठन भी किया गया है।

**कृत्य:-**

पुलिस विभाग अपराध तथा अपराधियों पर अंकुष लगाकर राष्ट्र के समस्त नागरिकों को भय मुक्त समाज प्रदान किये जाने की अवधारणा पर कार्य करने वाला एक अनुशासित संगठन है। यह संगठन संविधान एवं विधि के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों एवं हितों का संरक्षक है। इसके अभाव में नागरिकों की सुरक्षा अथवा संविधान में निहित भावनाओं को पूर्ण किया जाना कदापि संभव नहीं है।

**कर्तव्य:-**

पुलिस का प्राथमिक एवं मुख्य कर्तव्य अपराध एवं अव्यवस्था को रोकना, कानून का पालन कराना व यातायात व्यवस्था बनाये रखना है। पुलिस के आधारभूत कर्तव्य निम्नवत हैं-

1. अपराधों की रोकथाम
2. अपराध घटित होने पर सफल, निष्पक्ष [विवेचना / अनावरण](#)
3. न्यायालयों में अपराधों का सफल अभियोजन
4. कानून एवं शान्ति / यातायात व्यवस्था बनाये रखना
5. मानव अधिकारों का अनुरक्षण
6. मित्र पुलिस का क्रियान्वयन

बिन्दु संख्या 2:-

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

जनपद स्तर पर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपदीय पुलिस बल का प्रधान होता है। वह बल की दक्षता, अनुशासन और कर्तव्यों तथा दायित्वों का समुचित पालन कराने के लिए उत्तरदाई होता है। उसे यह देखना चाहिए कि शासन, न्यायालयों और अन्य सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं।

मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के मध्य सभी पत्र व्यवहार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किया जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय दण्ड विधान व दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा विभिन्न अधिनियमों तथा विधि द्वारा स्थापित सभी नियमों का पालन कराये जाने हेतु समस्त अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षी तक के कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण उसे ,उन्हें पदच्युत/निलम्बित किये जाने का अधिकार भी प्राप्त है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य अधि०/कर्म० की शक्तियाँ व कर्तव्य:-

1. पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक :-

पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सहायक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति/अवकाश के मध्य जनपद के कानून व शान्ति व्यवस्था एवं अन्य दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है।

2. पुलिस उपाधीक्षक :-

- (क) अपने क्षेत्रान्तर्गत कानून/शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।
- (ख) अपराधों की पर्यवेक्षण करना।
- (ग) पुलिस लाईन/पुलिस कार्यालय से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्यों का सम्पादन करना जिन्हें किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।



- (घ) पुलिस उपाधीक्षक ऐसे कार्य का पालन कर सकेंगे जिसे वह किसी विधि या नियम के द्वारा स्वयं ही करने को बाध्य न हो।
- (ङ) वह जाँच और सिफारिश कर सकते हैं, चाहे तब वह अंतिम आदेश करने को सक्षम न हों।
- (च) दण्ड के मामलों में वह वृहद दण्ड एवं निलम्बन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कर्तव्यों का पालन करने को सक्षम होंगे।
- (छ) पुलिस अधिनियम की धारा 30 एवं 30ए के अधीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सभी कर्तव्यों का पालन करने को सक्षम हैं।
- (ज) अन्य विधिक कार्य।

### 3. निरीक्षक / उप निरीक्षक (थाने का भारसाधक अधिकारी):—

अपने प्रभार की सीमान्तर्गत पुलिस प्रशासन को संचालित करता है और अपने अधीन बल की सभी शाखाओं पर नियंत्रण रखता है। थाने में रखे जाने वाले सभी सरकारी धन व मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदाई है तथा थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था / यातायात व्यवस्था बनाये रखने व अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए भी उत्तरदायी है।

### 4. प्रधान लेखक (मुख्य आरक्षी):—

1. थाने में रिकार्ड कीपर और लेखपाल का कार्य करना।
2. जनरल डायरी और अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना।
3. अंग्रेजी, हिन्दी में रोकड. बही व दूसरी लेखा पुस्तकें बनाये रखने तथा थाने के सभी सरकारी धन व मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना।
4. ग्राम चौकीदारों की उपस्थिति को उनके बोर्डों पर अभिलिखित करना और अपेक्षित होने पर उनकी पुस्तकों में प्रविष्टियाँ अंकित करना।
5. आरक्षियों को पुलिस गजट और क्रिमिनल इंटेलेजैन्स गजट की अधिसूचनाओं और ऐसे आदेश निर्देशों / परिपत्रों को जिन्हें भारसाधक अधिकारी चुने, जोर-जोर से पढकर सुनाना एवं पालन कराना।
6. वेतन वितरण प्रपत्रों और वेतन संक्षेप संकलित करना, रजिस्टर तैयार करना और अन्य लिपिकीय कार्य करना जो उसे भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्वाहित / सौंपे गये हों।
7. सभी पुस्तकों / अभिलेखों को रखना।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त थाना प्रभारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य।
9. जहाँ द्वितीय अधिकारी न हो पैरा 51 में वर्णित सिवाय 4 के कर्तव्यों का पालन करना।

5. आरक्षी :-

1. अपराध को घटित होने से रोकना ।
2. संतरी ड्यूटी के समय हवालात में बंदियों, तिजोरी, मालखाने और थाने की सभी सम्पत्तियों की रक्षा करना ।
3. अपनी बीट संबंधी सूचनाओं का संकलन, बीट बुक में उनका अंकन आदि करना ।
4. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना ।

6. अभिसूचना इकाई में नियुक्त सभी अधि०/कर्म०(लिपिक/चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर)

1. अभिसूचनाओं का संकलन ।
2. विदेशी नागरिकों के आवागमन पर दृष्टि रखना ।
3. जनपद में प्रचलित समस्त गतिविधियों पर दृष्टि रखना तथा यथा समय सूचना सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना ।
4. परिपत्रों/चरित्र सत्यापनों की जांच करना ।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्राप्त होने वाली दिषा-निर्देशों का अनुपालन करना ।

7. रिजर्व निरीक्षक/ रिजर्व उ०नि०-

प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन का भारसाधक अधिकारी होता है । उसके कर्तव्य निम्नवत है-

1. सभी रक्षकों और मार्गरक्षियों का निरीक्षण करना तथा यह देखना कि वह अपने कर्तव्यों से पूर्ण रूप से परिचित है अथवा नहीं ।
2. नियमित रूप से परेड कराना तथा यह देखना कि उनके पास सम्पूर्ण किट का ज्ञान ।
3. पुलिस लाईन में कर्तव्यों पर दृष्टि रखना ।
4. रिजर्व के वस्त्रों, आयुधों, गोला बारूद, डेरों व भण्डारों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं अभिलेखों का रखरखाव करना ।
5. रंगरूटों के प्रशिक्षण और पूरे बल के या व्यायाम का शिक्षण तथा अभ्यास करने के लिये उत्तरदायी है ।
6. वार्षिक फायरिंग के समय स्वयं उपस्थित रहना ।
7. आकस्मिक रूप से गार्दों का निरीक्षण करना तथा भंडारगृह में गोला बारूद और हवालात के कमरों का परिदर्शन करना तथा इसकी टिप्पणी आवश्यक अभिलेखों में दर्ज करना ।
8. इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करना ।
9. रिजर्व निरीक्षक किसी आरक्षी को अधिकतम 3 दिवस के लिये व्यायाम और थका देने वाले कर्तव्यों का दंड दे सकेगा ।

**8. मुख्य आरक्षी स०पु० :-**

1. गार्द और मार्ग रक्षकों को कमांड करने, व्यायाम में अनुदेश दे सकता है।
2. गार्द कमांडर के रूप में विभिन्न स्थानों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जा सकता है।
3. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में गनर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
4. इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना।
6. यातायात ड्यूटी में नियुक्त किया जा सकता है।

**9. आरक्षी स०पु० :-**

1. विभिन्न सुरक्षा गार्दों में सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जा सकता है।
2. शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में नियुक्त किया जा सकता है।
3. यातायात नियंत्रण ड्यूटी में नियुक्त किया जा सकता है।

**10. उ०नि० परिवहन शाखा :-**

1. जनपद में उपलब्ध समस्त वाहनों के सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख रखना व अध्यावधिक करना।

**11. मुख्य आरक्षी परिवहन शाखा :-**

1. जनपद में उपलब्ध वाहनों की देखरेख करना।
2. परिवहन कार्यालय सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख रखाव करना।

**12. आरक्षी परिवहन शाखा :-**

1. वाहनों का संचालन करना
2. वाहनों की देखरेख व मैन्टीनेन्स करना।

**13. मुख्य आरक्षी आरमोरर :-**

1. शस्त्रों का आवश्यकतानुसार वितरण करना तथा उनकी साफसफाई का ध्यान रखना।
2. वितरित किये गये शस्त्रों का निरीक्षण कराना।
3. शस्त्रागार में उपलब्ध सभी प्रकार के अभिलेखों की देखरेख करना।

**14. आरक्षी आरमोरर :-**

1. मुख्य आरक्षी आरमोरर की सहायता करना ।
2. शस्त्रागार में उपलब्ध सभी प्रकार के शस्त्रों की देखरेख करना ।

**15. रेडियो शाखा :-**

1. जनपद के सभी थानों/चौकियों/वाहनों आदि में स्थापित सैटों में संचार व्यवस्था बनाये रखना ।
2. संचार सम्बन्धी उपकरणों का रख-रखाव करना ।
3. विभिन्न सूचनाओं का संप्रेषण करना ।
4. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का रख-रखाव करना ।

**16. प्रधान लिपिक (मय सहायकों के) :-**

1. बाहरी जनपद से प्राप्त होने वाले समस्त पत्रव्यवहार हेतु उत्तरदायी हैं ।
2. पुलिस कर्मियों सेवाअभिलेखों का रखरखाव करना ।
3. दण्ड/वेतन/पेंशन/सत्यापन सम्बन्धि कार्य ।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना ।

**17. आंकिक(मय सहायकों के):-**

1. सभी प्रकार के आहरण/वितरण सम्बन्धित कार्य ।

**18. आशुलिपिक:-**

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों के गोपनीय सहायक के रूप में कार्य करते हैं, गोपनीय प्रवृष्टि के सभी आदेशों/निर्देशों/प्रपत्रों को सुरक्षित रखना ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना ।

**19. वाचक(मय सहायकों के):-**

1. जनपद के अपराध सम्बन्धी सभी प्रकार के अभिलेखों का रखरखाव करना ।
2. उच्च अधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा निर्देशों का सम्प्रेक्षण करना ।

बिन्दु संख्या:-3-

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

अ-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक:-

1. जिला स्तर पर प्राप्त सभी प्रकरणों में अन्तिम निर्णय लिया जाना।
2. जनपद में होने वाले अपराधों/निरोधात्मक कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करना।
3. जनपद के सभी थानों/चौकियों/शाखाओं का निरीक्षण।
4. पुलिस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अतिरिक्त उत्तरदायित्व का निर्धारण।
5. वित्तीय मामलों में अन्तिम निर्णय लेना।
6. पुलिस कर्मियों में अनुशासन एवं नियंत्रण बनाये रखना।
7. पुलिस कर्मियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखना।
8. पेशन/दण्ड/वेतन/सत्यापन आदि कार्यों का सम्पादन करवाना।
9. अभिसूचना शाखा से प्राप्त सूचना का विश्लेषण करना तथा आवश्यक निर्देश निर्गत करना।
10. न्यायालयों से प्राप्त आदेश/निदेशों का पालन कराना।

ब- अपर पुलिस अधीक्षक:-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को परस्पर सहयोग प्रदान करना।

स- पुलिस उपाधीक्षक:-

1. जनपद में घटित अपराधों का पर्यवेक्षण करना।
2. विशेष अपराध आख्या भेजना।
3. दहेज हत्या/अनु० जाति/जनजाति/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि मामलों की विवेचना करना।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वित्त सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होने पर आहरण /वितरण का कार्य करना।
5. विभिन्न शाखाओं/थानों आदि के निरीक्षण/पर्यवेक्षण का कार्य करना।
6. विभिन्न प्रार्थना पत्रों की जांच आदि करना।

द- थाना स्तर :-

1. अपराधों की रोकथाम करना।
2. अपराध घटित होने पर विवेचना कर सफल अनावरण करना।
3. न्यायालय में अभियोगों के विचारण के दौरान साक्षियों को उपस्थित कराना।
4. न्यायालय से प्राप्त सम्मनों/नोटिसो/वारन्टों आदि की तामिल करना।
5. हिस्ट्रीशीटों पर दृष्टि रखना।
6. महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने तत्काल सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना।
7. विभिन्न प्रार्थना पत्रों की जांच करना।
8. उच्च अधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना।
9. अपने कार्य क्षेत्र में शान्ति एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखना।

बिन्दु संख्या:-4कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान :-अ- जनपद स्तर पर :-

01. अपराधों पर विशेषकर महिलाओं/बच्चों/कमजोर वर्गों एवं वृद्ध नागरिकों तथा विकलांग व असहाय व्यक्तियों आदि के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर रोक लगाना तथा उन्हें यथा"शीघ्र न्याय आदि दिलाये जाने को प्राथमिकता देना।
02. विधान सभा/लोकसभा प्रश्नों का उत्तर मय सीमा के अन्तर्गत भेजना।
03. आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत कर मित्र पुलिस की कल्पना को मूल रूप प्रदान करना।
04. तस्करी पर रोक लगाना।
05. वी0आई0पी0 व वी0वी0आई0पी0 महानुभावों के आगमन पर उनके भ्रमण की सूचना संबधित को समय पर भेजना।
06. रिट याचिकाओं में निर्धारित तिथि पर शपथ पत्र दाखिल करना।
07. पुलिस विभाग में प्रचलित निर्माण कार्यों को भी निर्धारित मानक के अनुरूप कराना।
08. उच्चाधिकारियों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का अनुपालन करना।
09. अनुशासनहीनता करने पर कृत्य के अनुपात में ही दण्ड प्रदान किया जाना।
10. पुलिस कर्मियों द्वारा अच्छे कार्य करने पर उन्हें प्रोत्साहित करना।
11. पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास करना।
12. पुलिस कर्मियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखना।
13. यातायात व्यवस्था में सुधार आदि।
14. पर्यटकों को पूर्ण सुरक्षा, सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

बिन्दु संख्या:- 5

लोक प्राधिकारी अथवा उनके कार्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना -

जिला स्तर पर :-

कार्य की प्रकृति	सम्बन्धित नियम
वित्तीय मामले	वित्तीय हस्त पुस्तिकायें
सेवा सम्बन्धी मामले	1. वित्तीय हस्त पुस्तिका
	2. सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता
	3. कंट्रोल क्लासीफिकेशन एंड अपील रूल्स
	4. विभिन्न सेवा संवर्ग के सेवा नियमावलियां
	5. पेंशन नियम
	6. सामान्य भविष्य निर्वहन निधि नियमावली
	7. मैनुअल आफ गर्वमेंट आर्डर
	8. पुलिस रेगुलेशन
	9. पुलिस कार्यालय मैनुअल
कार्यालय प्रक्रिया एवं सामान्य पत्राचार	1. शासनादेशों का संग्रह
	2. पुलिस रेगुलेशन
	3. पुलिस कार्यालय मैनुअल
	4. उत्तराखंड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 उपान्तरण आदेश 2000
अपराध, कानून व्यवस्था आदि से संबन्धित मामले	1. भारतीय दण्ड संहिता
	2. दण्ड प्रक्रिया संहिता
	3. साक्ष्य अधिनियम
	4. राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम
	5. पुलिस अधिनियम
	6. शासन द्वारा निर्धारित नीतियाँ

बिन्दु संख्या:-6

ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण :-

अ- जनपद स्तर पर :-

पत्रावलियों का रखरखाव तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा सम्पादित किया जाता है जो कि अपने उच्चाधिकारियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अभिलेखों को रखते हैं तथा कार्यवाही करते हैं। पत्रावलियों पर कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् संबंधित कर्मचारियों द्वारा अभिलेखागार में उसकी उपयोगिता के अनुसार शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में विभिन्न अवधियों के लिए संचित किये जाते हैं। इन अभिलेखों की निम्न श्रेणियाँ हैं।

1. विभिन्न प्रकरणों एवं विषयों की पत्रावलियाँ
2. विभिन्न पंजिकायें

ब- थाना स्तर पर :-

थाना स्तर पर विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों को उपयोग में लाया जाता है, जिनमें से प्रमुख निम्नवत है -

1. मफरूर रजिस्टर
2. उन भगोडे, अपराधियों के बारे में जो प्रान्तीय सूची पर न हो, की सूचनाओं का रजिस्टर
3. रोकड. बही
4. थानाध्यक्ष की गोपनीय डायरी
5. यात्रा भत्ता रजिस्टर
6. आरोप पत्र
7. पुलिस एक्ट की धारा 34 के अन्तर्गत आरोपपत्र
8. भोजन, धन इत्यादि के लिए अग्रिम की प्रतिपूर्ति की चैक बुक
9. सूचना प्रपत्रों की पत्रावली
10. अनुदेश परिपत्र
11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन सशर्त उन्मोचित अधिकारी
12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के आदेशों के अधीन अध्याधीन दोषसिद्ध
13. साप्ताहिक गोपनीय डायरी
14. अपराध रजिस्टर
15. अपराध अभिलेख
16. ग्राम अपराध नोटबुक
17. अपराधी जनजातियों का रजिस्टर शीट



18. अपराधी जनजातियों अधि० के नियम 4ए के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची
19. अपराधी जनजातियों के सदस्यों के अल्पकालीन परित्याग पर पत्र
20. जमानत रजिस्टर
21. प्राप्तकर्ता रजिस्टर
22. केस डायरी
- 23 जनरल डायरी (रोजनामचा आम)
24. द०प्र०सं० की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट
25. अंगुल छाप रजिस्टर
26. संज्ञेय अपराधों के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट
27. असंज्ञेय अपराधों के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट
28. गिरोह रजिस्ट्रर
29. मरम्मत के लिये पेशगी का हिसाब
30. जॉच पर्चियों की अनुक्रमणिका ए
31. जॉच पर्चियों की अनुक्रमणिका ब
32. हिस्ट्रीशीट की अनुक्रमणिका
33. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
34. निरीक्षण पुस्तिका अंग्रेजी
35. निरीक्षण पुस्तिका हिन्दी
36. गुंडा रजिस्टर
37. कागजों का बीजक
38. द०प्र०सं० की धारा 55 के अधीन कार्यवाही
39. द०प्र०सं० की धारा 109 के अधीन कार्यवाही
40. द०प्र०सं० की धारा 110 के अधीन कार्यवाही
41. चोरी और बरामद सम्पत्ति के बारे में आदेश की पत्रावली
42. अन्य पुलिस थानों की चोरी गई सम्पत्ति के बारे में आदेश की पत्रावली
43. रिमांड सीट
44. थाने की आदेश पुस्तिका
45. घुमक्कड. जनजातियों और गिरोह
46. द०प्र०सं० की धारा 160 (1) के अधीन जारी किये गये सम्मनों के रूप में आवाहन पत्र
47. राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुमोदित संदिग्ध व्यक्तियों की सूची
48. कोषागार की पासबुक
49. सादे रजिस्टर और प्रारूप विविध पुस्तिका हेतु
50. काजलिस्ट रजिस्टर
51. नकबजनी रजिस्टर
52. गैंग चार्ट
53. बीट सूचना रजिस्टर त्यौहार रजिस्टर

54. त्यौहार रजिस्टर
55. ग्राम सुरक्षा समिति रजिस्टर
56. इंडैक्स हिस्ट्रीशीट
57. जी0पी0 लिस्ट रजिस्टर
58. राजनैतिक पार्टी/राजनैतिक सूचना रजिस्टर
59. खोये पाये व्यक्तियों का रजिस्टर
60. डिफाल्टर रजिस्टर
61. पंचायतनामा रजिस्टर
62. कर्मचारियों की नियुक्ति का रजिस्टर
63. शस्त्र रजिस्टर
64. फलाई शीट
65. मालखाना रजिस्टर

### बिन्दु संख्या :-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टयाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:-

#### अ- जनपद स्तर पर :-

1. जनपद में आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया जाता है तथा प्राप्त होने वाले सुझावों पर कार्यवाही की जाती है।
2. जन-प्रतिनिधियों, पुलिस पेंशनर्स, पत्रकारों, मीडिया के व्यक्तियों एवं जनता के व्यक्तियों के साथ समय-समय पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। गोष्ठियाँ के अतिरिक्त आम जनता के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है, इनमें उठाई जाने वाली समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाता है।
3. पुलिस कर्मियों हेतु भी अलग से मासिक सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।

#### ब- थाना स्तर पर :-

1. थाना स्तर पर थाना प्रभारियों द्वारा समय-समय पर ग्राम सुरक्षा समितियों/आम जनता/व्यापारियों आदि के साथ समय-समय पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं।
2. यदि उक्त गोष्ठियों में उठाई जाने वाली समस्याएँ पुलिस विभाग से संबधित नहीं होती हैं तो निस्तारण हेतु संबधित विभागों को भेज दी जाती हैं।

**बिन्दु संख्या :- 8**

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।

**अ- जनपद स्तर पर :-**

जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी आदि द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भाग लिया जाता है। विभिन्न सलाहकार समिति तथा जनपद स्तरीय बैठकों जिनमें विभिन्न स्तर के प्रतिनिधि प्रतिभाग करते हैं, जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाती है जिनमें जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है तथा इनका कार्यवृत्त जनप्रतिनिधियों तक पहुँचता है।

**ब- थाना स्तर पर :-**

1. थाना स्तर पर आयोजित होने वाले बैठकों में पत्रकारों/जनता एवं उनके प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा बैठकों में उठाये जाने वाली समस्याओं का यथासम्भव तत्काल निस्तारण कर दिया जाता है।
2. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम व उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु महिला हैल्प लाईन एवं महिला डैस्क का गठन किया गया है।

**जनपद रुधम सिंह नगर में थानावार गठित समितियों का विवरण:-**

नाम थाना	कुल ग्राम सुरक्षा समिति	मो0/वार्ड सुरक्षा समिति
खटीमा	90	12
नानकमत्ता	59	—
सितारगंज	63	09
किच्छा	51	10
रुद्रपुर	26	26
पंतनगर	06	—
दिनेषपुर	45	07
गदरपुर	37	09
बाजपुर	113	12
काषीपुर	78	21
कुन्डा	31	—
जसपुर	67	09
<b>योग</b>	<b>651</b>	<b>125</b>

## बिन्दु संख्या :- 9

महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त अधि/कर्म की निर्देशिका  
पुलिस कार्यालय में तैनात अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण

क्र०स०	कार्य का नाम	अधि/कर्म का नाम	कार्य का विवरण
1	डी०सी०आर०बी०	हे०का०प्रो० पुरषोत्तम बेलवाल	प्रभारी डी०सी०आर०बी०
2	डी०सी०आर०बी०	का० 999 पंजाब सिंह	तलाश, सीपा, दैनिक अपराध, रजिस्टर 10 साला
3	डी०सी०आर०बी०	म०का० 69 निर्मला पटवाल	डोजियर कार्ड, विशेष अपराध, डाक आदान प्रदान, अपराध तालिका, जिपनेट, आकड़ों की फिडिंग
4	डी०सी०आर०बी०	का० 749 ब्रिजेश सिंह	एम०वी०सी०एस०, सीपा, वाहन चोरी, गुमशुदा, अज्ञात शव का प्रचार प्रसार, दैनिक सूचनायें
5	डी०सी०आर०बी०	का० 201 देवेन्द्र सिंह	प्रशिक्षक सी०सी०टी०एन०एस०
6	म० है० ला०	उ०नि० लता जोशी	प्रभारी महिला हैल्प लाईन
7	म० है० ला०	उ०नि० मैरी पीटर	काउन्सिलिंग/एफ०सी०आर०/अपराध सम्बन्धी कार्य
8	म० है० ला०	म०का० 265 ना०पु० पुष्पा बजेठा	काउन्सिलिंग/अपराध/रजिस्टर अध्यायवधिक करना
9	म० है० ला०	म०का० 109 ना०पु० परमजीत	नोटिस/डाक वितरण/कम्प्यूटर कार्य।
10	म० है० ला०	म०का० 555 ना०पु० भगवती	शिकायती प्रार्थना पत्रों में काउन्सिलिंग के पश्चात जॉच रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व न्यायालय को प्रेषित करना
11	म० है० ला०	म०का० 1073 ना०पु० दीपा कुवर	शिकायती प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर को अध्यायवधिक करना
12	प्रधान लिपिक	उ०नि० सुभाष चन्द्र जोशी	प्रभारी – पेन्शन मामलों का पर्यवेक्षण
13	प्रधान लिपिक	ए०एस०एम० हेम चन्द्र सती	सीआरके-I/दण्ड/जॉच/अपील
14	प्रधान लिपिक	ए०एस०एम० श्रीमती अन्जू गनघरिया	सीआरके-ए०पी०/स्टेटमेन्ट मासिक
15	प्रधान लिपिक	ए०एस०एम० दीपा बिष्ट	सीआरके-एम टी/फायर सर्विस/चिकित्सा का कार्य

16	प्रधान लिपिक	ए0एस0एम0 दीपा बिष्ट	सीआरके-एम टी / फायर सर्विस / चिकित्सा का कार्य
17	प्रधान लिपिक	ए0एस0एम पवन बोरा	सीआरके-सीपी 1 / मृतक आश्रित
18	प्रधान लिपिक	ए0एस0एम0 जगदीश चन्द्र पाण्डे	भवन / भूमि सम्बन्धी कार्य
19	प्रधान लिपिक	ए0एस0एम0 भगवत सिंह	सीआरके-सीपी 2 / एल आई यू
20	प्रधान लिपिक	का0 एम0 खिलेश राम	भवन / भूमि सम्बन्धी कार्य
21	प्रधान लिपिक	का0 एम0 पूनम गोस्वामी	सीआरके-एम टी / फायर सर्विस / चिकित्सा का कार्य
22	प्रधान लिपिक	उर्दू अनु0 सकील हसन	रिट का कार्य
23	प्रधान लिपिक	उर्दू अनु0 मुअज्जम हसन आरिफ	डिस्पेचन
24	आंकिक	प्रहलाद सिंह	प्रभारी - आंकिक पत्रावली / प्राईवेट फण्ड
25	आंकिक	मदन सिंह अधिकारी	राजकीय कैसबुक का रखरखाव
26	आंकिक	ए0एस0एम0 मुन्नी नेगी	वेतन समस्त पुलिस, पेंशन का भुगतान, एव जी0पी0एफ0 ना0पु0
27	आंकिक	ए0एस0एम0 चन्द्रशेखर पाठक	टी0ए0 / डी0ए0 सम्बन्धी कार्य
28	आंकिक	ए0एस0एम0 शकुन्तला	फायर सर्विस, चतुर्थ वग एव लिपिक सवर्ग का टी0ए0 / डी0ए0 सम्बन्धी कार्य
29	आंकिक	का0 एम0 विशाल जोशी	समस्त कर्मचारियों तृतीय श्रेणी के जी0पी0एफ0 का रखरखाव
30	आंकिक	का0 एम0 मन्जू भण्डारी पवार	समस्त कर्मचारियों तृतीय श्रेणी के जी0पी0एफ0 का रखरखाव
31	आंकिक	का0 एम0 पूनम शर्मा	एल0आई0यू0 का वेतन
32	आंकिक	उर्दू अनुवादक मिसवाहुन नवी	एम0टी0 / रेडियो शाखा का वेतन
33	कार्या0 आशुलिपिक-अपर पुलिस अधीक्षक	श्री कैलाश चन्द्र पंत	अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशन, समस्त जाँचों का निस्तारण
34	कार्या0 आशुलिपिक-अपर पुलिस अधीक्षक	का0 1051 नरेन्द्र सिंह नेगी	समस्त रजिस्ट्रों का रखरखाव व डाक का आदान प्रदान
35	कार्या0 वाचक-अपर पुलिस अधीक्षक	उ0नि0 विशेष- श्री देवी दत्त बहुखण्डी	अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशन, समस्त जाँचों का निस्तारण
36	कार्या0 वाचक-अपर पुलिस अधीक्षक	का0 मोहन सिंह	समस्त कार्य

37	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	उ०नि० सुरेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रभारी
38	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	का० 1030 भगत सिंह	एस०सी०/एस०टी० की समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान व एस०आर० उच्चधिकारियों को प्रेषित
39	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	म०का० भावना भट्ट	एफ०सी०आर०/पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक व वार्षिक अपराध सम्बन्धी सूचना प्रेषित करना
40	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	म०का० माया आर्या	कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल व पुलिस मुख्यालय को सूचना प्रेषित करना
41	सूचना सैल	हे०का० भूवन चन्द्र	समस्त कार्य
42	सूचना सैल	का० 909 हेम चन्द्र दुर्गापाल	सूचनाओं का आदान प्रदान करना
43	सूचना सैल	का० 542 राजवीर सिंह नेगी	प्रथम अपील व द्वितीय अपील सम्बन्धी कार्य
44	वाचक-व०पु०अधि०	हे०का०विशेष 99 सी०पी० त्रिलोक सिंह	काईम
45	वाचक-व०पु०अधि०	का० 302 विनोद कुमार	काईम
46	वाचक-व०पु०अधि०	का० 964 जितेन्द्र सिंह	काईम
47	वाचक-व०पु०अधि०	म०का० 603 मीना तिवाडी	काईम
48	वाचक-व०पु०अधि०	का 313 नवीन चन्द्र	काईम
49	शिकायत प्रकोष्ठ	उ०नि० सुधाकर जोशी	प्रभारी
50	शिकायत प्रकोष्ठ	का० भूपेन्द्र सिंह	शिकायतो को थाने हेतु जाँच के लिए प्रेषित करना
51	शिकायत प्रकोष्ठ	म०का० भावना पाटनी	शिकायतो को थाने हेतु जाँच के लिए प्रेषित करना
52	स्था०अभि०सू० ईकाई	श्री रतन सिंह पँवार	प्रभारी-सी०यू०जी० न०-9411112804 / कार्या० का न०-05944 246023
53	स्था०अभि०सू० ईकाई	उ०नि० इन्दर सिंह	विदेशी/पाक/बामपंथी/भारत/नेपाल सम्बन्धी पत्राचार
54	स्था०अभि०सू० ईकाई	आरक्षी हरेन्द्र लाल	विदेशी/पाक/बामपंथी/भारत/नेपाल सम्बन्धी पत्राचार
55	स्था०अभि०सू० ईकाई	उ०नि० दिनेश चन्द्र पाण्डे	पारपत्र अनुभाग का कार्य
56	स्था०अभि०सू० ईकाई	आरक्षी सन्तोष नेगी	पारपत्र अनुभाग का कार्य
57	स्था०अभि०सू० ईकाई	उ०नि० मनप्रीत कौर	समस्त स्टेटमैन्ट/शेडो गनर/ के कार्य

58	स्था0अभि0सू0 ईकाई	उ0नि0 नारायण दत्त शर्मा	अभिसूचना मुख्यालय को डेली फ़ैक्स/पीएफ/जीएफ का कार्य
59	स्था0अभि0सू0 ईकाई	एचसीपी लीलाधर काण्डपाल	रजिस्ट्रों का रखरखाव, जीडी/कैशबुक का कार्य
60	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 राजेन्द्र सिंह बिष्ट	डिस्पेच शाखा से सम्बन्धी कार्य
61	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 गोपराम आर्य	समस्त टाईपिंग का कार्य
62	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 भास्कर चन्द्र पाठक	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी गतिविधि से सम्बन्धी का कार्य
63	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 माया आर्या	टीए/डीए के अतिरिक्त उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों से सम्बन्धी कार्य
64	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 गंगोत्री आर्या	सत्यापन से सम्बन्धी कार्य
65	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 गोपराम आर्य	समस्त टाईपिंग का कार्य
66	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 भास्कर चन्द्र पाठक	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी गतिविधि से सम्बन्धी का कार्य
67	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 माया आर्या	टीए/डीए के अतिरिक्त उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों से सम्बन्धी कार्य
68	स्था0अभि0सू0 ईकाई	मु0आ0 गंगोत्री आर्या	सत्यापन से सम्बन्धी कार्य

### बिन्दु संख्या :- 10

प्रत्येक अधि0/कर्म0 द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है :-

अ- जनपद/शाखा/थाना प्रभारी स्तर पर कार्यरत अधि0 की निर्देशिका -

क0सं0	पद नाम	वेतनमान व अन्य भत्ते
01	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,	15600-39100-300 किट रखरखाव भत्ता
02	अपर पुलिस अधीक्षक,	15600-39100-700 पौ0 आ0-80 किट रखाव भत्ता
03	पुलिस उपाधीक्षक	15600-39100-700 पौ0 आ0-80 किट रखरखाव भत्ता
04	सहायक रेडियो अधिकारी	15600-39100-700 पौ0 आ0-80 किट रखरखाव भत्ता
05	निरीक्षक	9300-34200-700 पौ0 आ0-100 धुलाई भत्ता
06	उपनिरीक्षक	9300-34200-700 पौ0 आ0-100 धुलाई भत्ता
07	उपनिरीक्षक (एम)	9300-34200-700 पौ0 आ0-100 धुलाई भत्ता
08	आरएसओ/आरएमओ	9300-34200-700 पौ0 आ0-100 धुलाई भत्ता
19	सहायक उपनिरीक्षक (एम)	5200-20200-700 पौ0 आ0-100 धुलाई भत्ता
10	कानि0(एम)	5200-20200-850 पौ0 आ0-100 धुलाई भत्ता

11	मुख्य आरक्षी	5200-20200-850 पौ० आ०-100 धुलाई भत्ता
12	आरक्षी	5200-20200-850 पौ० आ०-100 धुलाई भत्ता
13	दफतरी	5200-20200-750 पौ० आ०-12 धुलाई भत्ता
14	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200-750 पौ० आहार
15	हेड आपरेटर	5200-20200-700 पौ०आ०-100 धुलाई भत्ता

**ब-पुलिस बल का वर्तमान पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्ति का विवरण:-**

**राजपत्रित अधिकारी:-**

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अन्य विवरण
ऊधमसिंहनगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	01	01	—	—
“	पुलिस अधीक्षक	—	01	—	—
“	अपर पुलिस अधीक्षक	01	01	—	—
“	पुलिस उपाधीक्षक	04	06	—	—
“	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	01	01	—	—

**पत्र व्यवहार शाखा:-**

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अन्य विवरण
ऊधमसिंहनगर	एसआई(एम)प्र०लि०	01	01	—	—
“	एएसआई(एम)स०लि	12	06	06	—
“	कानि०(एम)	01	06	—	—

**आकिंक शाखा**

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अन्य विवरण
“	एसआई(एम)आ०/कै०	02	02	—	—
“	ए०एस०आई०(एम)स०आ	06	03	03	—
“	एसआई(एम)आशुलिपिक	05	05	—	—
“	उर्दू अनुवादक	01	07	—	—



जनपद में नियुक्त पुलिस बल का स्वीकृत नियतन

नागरिक पुलिस

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	विवरण
ऊधमसिंहनगर	निरीक्षक ना0पु0	07	13	—	—
ऊधमसिंहनगर	उ0नि0 ना0पु0पुरुष	102	95	07	01 उ0नि0 पावर कार्रपरेशन में सम्बद्ध है।
ऊधमसिंहनगर	उ0नि0 ना0पु0महिला	01	08	—	—
ऊधमसिंहनगर	हे0कानि0ना0पु0पुरुष	109	98	11	—
ऊधमसिंहनगर	हे0कानि0ना0पु0महिला	10	05	05	—
ऊधमसिंहनगर	कानि0ना0पु0पुरुष	1020	792	228	—
ऊधमसिंहनगर	कानि0ना0पु0महिला	75	124	—	—

सशस्त्र पुलिस

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	विवरण
ऊधमसिंहनगर	प्रतिसार निरीक्षक	01	01	—	—
ऊधमसिंहनगर	आर0एस0आई0	01	—	01	—
ऊधमसिंहनगर	एस0आई0 स0पु0	06	05	01	सभी पदों को सम्मिलित किया गया है।
ऊधमसिंहनगर	हे0कानि0स0पु0	101	89	12	सभी पदों को सम्मिलित किया गया है।
ऊधमसिंहनगर	कानि0स0पु0	376	309	67	सभी पदों को सम्मिलित किया गया है।
ऊधमसिंहनगर	चतुर्थ श्रेणी	88	87	01	—

परिवहन शाखा

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	विवरण
ऊधमसिंहनगर "	हे0कानि0 एमटी	01	01	—	—
"	कानि0चालक/केन आपरेटर	30	55	—	—
"	कानि0डी0आर0	01	01	—	—

फायर सर्विस

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	विवरण
ऊधमसिंहनगर	एफ0एस0ओ0	06	06	—	—
"	एफ0एस0एस0आ0	06	03	03	—
"	एल0एफ0एम0	24	05	19	—
"	एफ0एस0चालक	30	14	16	—
"	एफ0एम0	156	142	14	—
"	चतुर्थ श्रेणी/ कुक/स्वीपर	14	10	04	—

अभिसूचना इकाई

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत	उपलब्धता	रिक्ति	विवरण
ऊधमसिंहनगर	निरीक्षक	02	01	01	—
"	उ0नि0	12	11	01	—
"	हे0कानि0	11	12	—	—
"	कानि0	23	24	—	—
"	एसआई(एम) एलआईयू	01	—	01	—
"	चतुर्थ श्रेणी	01	—	01	—

रेडियो शाखा:-

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	विवरण
"	रेडियो निरीक्षक	01	01	—	—
"	रेडियो अनु0 अधि0	02	02	—	—
"	रेडियो केन्द्र अधिकारी	07	02	05	—
"	प्रधान परिचालक यांत्रिक	07	04	03	—
"	प्रधान परिचालक	16	18	—	—
"	सहायक परिचालक	18	01	17	—
"	कर्मशाला सहायक	02	01	01	—
"	संदेश वाहक	07	03	04	—

जी0आर.पी.:-

जनपद/इकाई का नाम	पद/नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	विवरण
ऊधमसिंहनगर	उ0नि0 निरीक्षक	01	01	—	—
"	हे0कां0	01	01	—	—
"	कान्स0	10	10	—	—

जल पुलिस:-

जनपद / इकाई का नाम	पद / नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धत	रिक्त	विवरण
ऊधम सिंह नगर	कान्स	05	05	—	—
“	गोताखोर	02	02	—	—

बिन्दु संख्या :- 11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की प्रविष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट:-वर्ष (2010-2011)

लेखाशीर्षकलेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-109 जिला पुलिस, 03-जिला पुलिस मुख्य

क्रं.सं0	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय धनराशि	समर्पित धनराशि
1	01-वेतन	<b>269377707</b>	<b>269373044</b>	4663
2	02-मजदूरी	<b>106000</b>	101400	4600
3	03-महंगाई भत्ता	<b>141580094</b>	<b>141580094</b>	0
4	04-यात्रा भत्ता	<b>4586000</b>	4585947	53
5	05-स्थानान्तरण	<b>296000</b>	295451	549
6	06- अन्य भत्ते	<b>27994390</b>	<b>27994390</b>	0
7	08-कार्यालय व्यय	<b>1315000</b>	1314998	2
8	09-विधुत व्यय	<b>1307000</b>	1306237	763
9	10-जल मूल्य	<b>165000</b>	165000	0
10	11-लेखन सामग्री	<b>224000</b>	223804	196
11	12-कार्यालय फर्नीचर	<b>36000</b>	35182	818
12	13-टेलीफोन	<b>480,000</b>	479728	272
13	16-व्यवसायिक सेवा	<b>4,000</b>	3873	127
14	17- किराया उपसुल्क	<b>900</b>	900	0
15	25- लघु निर्माण	<b>234,000</b>	233800	200
16	27- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	<b>435000</b>	432142	2858
17	29- अनुरक्षण	<b>76500</b>	76443	57
18	42- अन्य व्यय	<b>813,000</b>	812946	54
19	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	<b>27,000</b>	26742	258
		<b>449057591</b>	449042121	15470

**लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-800 अन्य व्यय, 04- अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण**

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	01- वेतन	<b>28001971</b>	27993791	8180
2	02- मजदूरी	<b>5000</b>	2800	2200
3	03- महंगाई भत्ता	<b>14114163</b>	14114163	0
4	04-यात्रा भत्ता	<b>242000</b>	242000	0
5	05- स्था० यात्रा भत्ता	<b>31000</b>	31000	0
6	06- अन्य भत्ता	<b>2718754</b>	2718754	0
7	08-कार्यालय व्यय	<b>34000</b>	34000	0
8	09-विधुत व्यय	<b>25000</b>	25000	0
9	11-लेखन सामग्री	<b>14000</b>	12999	1001
10	12-कार्यालय फर्नीचर	<b>7000</b>	7000	0
11	13- टेलीफोन	<b>9000</b>	9000	0
12	15- पेट्रोल / डीजल	<b>519000</b>	518895	105
13	27-चिकित्साप्रतिपूर्ति	<b>50000</b>	50000	0
14	29- अनुरक्षण	<b>2000</b>	2000	0
15	42- अन्य व्यय	<b>12000</b>	11941	59
16	47- कम्प्यूटर व्यय	<b>18000</b>	17993	7
		45802888	45791336	11552

**लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-800 अन्य व्यय 13- निर्वाचन**

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	42- अन्य व्यय	<b>3900000</b>	3899325	675

**लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-800 अन्य व्यय, 10- कुम्भ मेला**

1	04 यात्रा भत्ता	<b>1661000</b>	1660115	885
		<b>1661000</b>	<b>1660115</b>	<b>885</b>

**लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-101अपराध अनुवेषण और सर्तकता,03-अभिसूचना**

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	01- वेतन	<b>9238240</b>	<b>9238240</b>	0
2	03- महंगाई भत्ता	<b>4819121</b>	<b>4819121</b>	0

3	04-यात्रा भत्ता	220000	219891	109
4	05- स्था0 यात्रा भत्ता	8000	5582	2418
5	06- अन्य भत्ते	1000000	1370175	-370175
6	08-कार्यालय व्यय	17000	16787	213
7	11-लेखन सामग्री	21000	20969	31
8	13- टेलीफोन	18,000	18000	0
9	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,000	5000	0
10	42- अन्य व्यय	1,000	880	120
		15347361	15714645	-367284

**लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-109 जिला पुलिस, 04-रेडियों अधिष्ठान**

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	01- वेतन	10125916	10125916	0
2	03- महंगाई भत्ता	5369365	5369365	0
3	04- यात्रा भत्ता	175000	174710	290
4	05- स्था0 यात्रा भत्ता	16000	13360	2640
5	06- अन्य भत्ते	953000	1134375	-181375
6	08-कार्यालय व्यय	27000	26872	128
7	09-विद्युत देय	10000	9317	683
8	11-लेखन सामग्री	8000	7996	4
9	12-कार्यालय फर्नीचर	11000	9900	1100
10	13-टेलीफोन व्यय	4000	3786	214
11	26- मशीन साज सज्जा	40000	39714	286
12	27- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	515000	514067	933
13	29- अनुरक्षण व्यय	35000	34483	517
14	42- अन्य व्यय	6,000	5997	3
15	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	20,000	19921	79
		17315281	17489779	-174498

**लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-111 रेलवे पुलिस, 03-रेलवे पुलिस मुख्य**

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	01- वेतन	1510000	1504200	5800
2	03- महंगाई भत्ता	814980	800068	14912

3	04- यात्रा भत्ता	<b>44000</b>	43851	149
4	06- अन्य भत्ता	<b>135950</b>	135500	450
5	08-कार्यालय व्यय	<b>20000</b>	19993	7
6	09-विद्युत देय	<b>10000</b>	3667	6333
7	11-लेखन सामग्री	<b>9000</b>	<b>8958</b>	42
8	12-कार्यालय फर्नीचर	<b>6000</b>	<b>5959</b>	41
9	13- टेलीफोन	<b>2,500</b>	2468	32
10	15- मोटर अनुरक्षण	<b>8,000</b>	7954	46
11	42- अन्य व्यय	<b>15,000</b>	14983	17
12	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	<b>3,000</b>	2900	100
		<b>2578430</b>	2550501	27929

लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-109 जिला पुलिस, 05-मोटर परिवहन अधिष्ठान

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	01- वेतन	<b>11554000</b>	11513736	40264
2	03- महंगाई भत्ता	<b>5911828</b>	5811828	100000
3	04- यात्रा भत्ता	<b>138000</b>	137966	34
4	05- स्था० यात्रा भत्ता	<b>21000</b>	14175	6825
5	06- अन्य भत्ता	<b>830000</b>	877410	-47410
6	08-कार्यालय व्यय	<b>4000</b>	3892	108
7	15- पेट्रोल/डीजल	<b>6725000</b>	6724869	131
8	27- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	<b>53000</b>	44105	8895
9	42- अन्य व्यय	<b>3000</b>	3000	0
10	47-कम्प्यूटर अनु०	<b>5000</b>	4950	50
		25244828	25135931	108897

लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-109 जिला पुलिस, 11-श्वान दल अधिष्ठान

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	08-कार्यालय व्यय	<b>20000</b>	19957	43
2	29- अनुरक्षण	<b>1215</b>	0	1215
3	42- अन्य व्यय	<b>8,000</b>	7945	55
		<b>29215</b>	27902	1313

लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-109 जिला पुलिस, 08-यातायात व्यवस्था

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	08-कार्यालय व्यय	<b>36000</b>	35983	17
2	11-लेखन सामग्री	<b>9000</b>	9000	0
3	12 कार्यालय फर्नीचर	<b>9000</b>	9000	0
4	31 सामग्री आपूर्ति	<b>19000</b>	18900	100
5	42- अन्य व्यय	<b>78,000</b>	77327	673
		<b>151000</b>	150210	790

लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-003 शिक्षा, प्रशिक्षण 04- शिक्षा, प्रशिक्षण मुख्य

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	07-मानदेय	<b>3500</b>	0	3500
2	08-कार्यालय व्यय	<b>37000</b>	36823	177
3	11-लेखन सामग्री	<b>10500</b>	10136	364
4	12- कार्यालय फर्नीचर	<b>8000</b>	7790	210
5	42- अन्य व्यय	<b>35,000</b>	34843	157
		<b>94000</b>	89592	4408

लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-110 ग्राम पुलिस, 03- ग्राम पुलिस अधिष्ठान

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	01-वेतन	<b>2300000</b>	2240000	60000
2	42- अन्य व्यय	<b>7000</b>	6980	20
		<b>2307000</b>	<b>2246980</b>	60020

लेखाशीर्षक 2055-पुलिस, 00-113 पुलिस कार्मिको का कल्याण 05- खेलकूद

क्रं.सं०	मानक मद का नाम	आवंटित बजट	व्यय अनुदान	समर्पित धनराशि
1	42- अन्य व्यय	<b>50000</b>	50000	0

बिन्दु संख्या :- 12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा सम्मिलित है -

पुलिस विभाग को आवंटित बजट के अतिरिक्त राज सहायता के अन्तर्गत को धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

बिन्दु संख्या :- 13

रियायतों/अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विशिष्टियाँ

शासन द्वारा निर्धारित रीति एवं प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन किया जाता है।

बिन्दु संख्या :- 14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उपलब्ध हों या उनके द्वारा धारित हों।

- 1- जनपद पुलिस की डीसीआरबी शाखा में बेबसाईट की व्यवस्था है।
- 2- महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था हेतु पोलनैट की व्यवस्था है।
- 3- जिला स्तर पर अपराधों के आंकड़े एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहती है।
- 4- अधि०/कर्म० को भुगतान किये जा रहे वेतन एवं भत्तों की सूचना कोषागार के कम्प्यूटर में रहती है।
- 5- जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु रुद्रपुर व काशीपुर में अपराध नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।



बिन्दु संख्या :- 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो तो उसका विवरण—

वर्तमान में जनपद स्तर पर पुलिस विभाग का कोई इस प्रकार का पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, जिसका आम जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। जनपद पुलिस कार्यालय का टेलीफोन नं० 243907 व फ़ैक्स नं० 243011, कन्ट्रोल रूम का फोन नं० 100 तथा फायर स्टेसन का फोन नं० 101 है। जनता की सुविधा के लिए जनपद के थानों/चौकियों पर उपलब्ध फोन 24 घंटे कार्यरत रहते हैं।

बिन्दु संख्या :- 16

लोकसूचना /सहायक लोकसूचना/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों के काम, पदनाम व अन्य विशिष्टियाँ –

क्र० सं०	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोकसूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
01	जनपद ऊधम सिंह नगर	श्री मुकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस कार्यालय रुद्रपुर दूरभाष नं०— 9411112742 व 05944-243907	1- सुश्री रेनु लोहाणी, क्षेत्राधिकारी पुलिस कार्यालय /यातायात। दूरभाष नं०—9411112096 व 05944-243907 2- श्री सुभाष चन्द्र जोषी उ०नि०(एम) पुलिस कार्यालय रुद्रपुर, दूरभाष नं०.9837092676	श्री दीपक ज्योति धिडियाल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, नैनीताल परिक्षेत्र, नैनीताल। दूरभाष नं०— 9411109119 व 05942-235456
02	थाना खटीमा	श्री पूरन चन्द्र भट्ट, प्रभारी निरीक्षक खटीमा दूरभाष नं०— (05943) 250037 9411112906	हे०का०प्र० रघुवर सिंह, थाना खटीमा दूरभाष नं०— (05943) 250037 9411266408	श्री जी०एस०पागती (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी खटीमा दूरभाष नं०— (05943) 250016 9411112746
03	थाना नानकमत्ता	श्री दिनेश चन्द्र तिवारी थानाध्यक्ष नानकमत्ता दूरभाष नं०— 9411112911	हे०का० ललित मोहन हे०मो० थाना नानकमत्ता दूरभाष नं०— 9411134367	श्री जी०एस०पागती (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी खटीमा दूरभाष नं०— (05943) 250016

04	थाना सितारगंज	श्री नरेश चन्द्र, प्रभारी निरीक्षक सितारगंज दूरभाष नं०— (9411112905	हे०का० हरीश चन्द्र थाना सितारगंज दूरभाष नं०— (05948) 254039 9410609026	डा०. हरीश वर्मा (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी सितारगंज दूरभाष नं०— 9411112998
05	थाना किच्छा	श्री हरीश मेहरा, प्रभारी निरीक्षक किच्छा दूरभाष नं० 9411112910	श्री राजेन्द्र प्रसाद टम्टा हे०मो० थाना किच्छा दूरभाष नं०—9410119731	डा०. हरीश वर्मा (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी सितारगंज दूरभाष नं०— 9411112998
06	थाना रूद्रपुर	श्री प्रमोद कुमार शाह, प्रभारी निरीक्षक— कोतवाली रूद्रपुर दूरभाष नं०— 9411112901	श्री गुमानी राम (हे०मो०) दूरभाष नं०— 05946—242378	श्री पंकज भट्ट (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर, दूरभाष नं०—243904 9411111991
07	थाना पंतनगर	श्री चंचल शर्मा, थानाध्यक्ष पन्तनगर दूरभाष नं०— 9411112902	श्री चनी राम हे०का० थाना पन्तनगर। दूरभाष नं०— 9634275051	श्री पंकज भट्ट (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर, दूरभाष —9411112456
08	थाना दिनेषपुर	श्री मनोज रतूडी, थानाध्यक्ष दिनेषपुर दूरभाष नं० 9411112903	श्री केशव सिंह हे०का०पो० दूरभाष नं०— 9410955120 व 05949—262260	श्री गिरीश चन्द्र टम्टा (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर, दूरभाष नं०—9411112456
09	थाना गदरपुर	श्री ओम प्रकाश थानाध्यक्ष गदरपुर दूरभाष नं०— 9411112907	श्री रघुवर सामन्त (हे०कानि०) दूरभाष नं०— 05949—271420 9412136583	श्री गिरीश चन्द्र टम्टा (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी बाजपुर दूरभाष नं०—9411112789
10	थाना बाजपुर	श्री दानी राम आर्या प्रभारी निरीक्षक बाजपुर दूरभाष नं०— 9411112909	श्री जीवन चन्द्र मिश्रा (हे०मो०) थाना बाजपुर दूरभाष नं० 05944—281052 9412944981	श्री गिरीश चन्द्र टम्टा (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी बाजपुर दूरभाष —9411112789
11	थाना काषीपुर	श्री जे०पी०जुयाल, प्रभारी निरीक्षक काषीपुर। दूरभाष नं० 9411112904	श्री गुरु प्रसाद शर्मा हे०का०—थाना काषीपुर। दूरभाष नं०—9412960127	श्री देवेन्द्र पीचा, (यू०पी०एस०) क्षेत्राधिकारी काषीपुर दूरभाष —9411112095

12	थाना कुण्डा	श्री मनीष उपाध्याय थानाध्यक्ष कुण्डा दूरभाष नं०— 9837059347	हे०का० सन्तोष प्रसाद थाना कुण्डा दूरभाष नं०— 9412100898	श्री देवेन्द्र पीचा, क्षेत्राधिकारी काषीपुर दूरभाष —9411112095
13	थाना जसपुर	श्री जगदीश चन्द्र पाठक प्रभारी निरीक्षक जसपुर कोतवाली जसपुर मो०नं०— 9411112908	हे०का० नरेन्द्र सिंह रावत कोतवाली जसपुर	श्री गिरीश चन्द्र टम्टा क्षेत्राधिकारी काषीपुर दूरभाष नं०—9411112095
14	फायर स्टे० रुद्रपुर	श्री नरेन्द्र सिंह कुवर एफएसओ रुद्रपुर दूरभाष नं०—9411332222	श्री हरीष गिरी एफएसएसओ रुद्रपुर दूरभाष नं०—9412131919	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दूरभाष नं०—9412028879
15	फायर स्टे० खटीमा	श्री वंश बहादुर यादव एफएसएसओ फायर स्टेशन खटीमा दूरभाष नं०—9456109121	श्री लीलाधर उपाध्याय फायर स्टेशन खटीमा दूरभाष नं०—9410516628 05943—250108 / 101	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दूरभाष नं०—9412028879
16	फायर स्टे० सितारगंज	श्री प्रयाग सिंह डोभाल अग्निशमन अधिकारी सितारगंज। दूरभाष नं०— 9412381759 व 05948—254653	एलएफएम श्री किषन बिष्ट दूरभाष नं०— 9411324494 व 05948—254653	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दूरभाष नं०—9412028879
17	फायर स्टे० काषीपुर	श्री संजीव कुमार अग्निशमन अधिकारी काषीपुर। दूरभाष नं०—05947—275100 व 101	एलएफएम श्री मंगल सिंह फायर स्टेशन काषीपुर दूरभाष नं०—05947—275100 व 101	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दूरभाष नं०—9412028879
18	फायर स्टे० जसपुर	श्री मदन बहादुर खत्री अग्निशमन अधिकारी जसपुर, दूरभाष नं०—9897174203	श्री चन्द्रमोहन शर्मा एफएसएसओ फायर स्टेशन जसपुर। दूरभाष नं०—9411186124	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दूरभाष नं०—9412028879
19	फायर स्टे० पंतनगर	श्री आर०एल शर्मा अग्निशमन अधिकारी पंतनगर, दूरभाष नं० 9412324546	एफ०एम० चा० ध्यान सिंह रावत मो०नं०—9410142354	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दूरभाष नं०—9412028879

## बिन्दु संख्या :- 17

जनपद में वर्तमान में 12 थाने स्वीकृत हैं, जिसमें से 09 थाने इस जनपद के सृजन से पूर्व जनपद नैनीताल के समय से हैं। जनपद सृजन के पश्चात 03 नये थानों का निर्माण हुआ। जिसमें सर्वप्रथम थाना दिनेशपुर व पंतनगर का निर्माण दिनांक 20.09.2005 को व थाना कुण्डा का निर्माण दिनांक 30.06.2006 को हुआ। जनपद की जनता की सुविधाओं हेतु थानों पर 100 नम्बर टेलीफोन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है तथा थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर संकेत चिन्हों एवं बैरियरों आदि पर थाना/पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर अंकित किये गये हैं।

जनपद में आपदा प्रबन्धन हेतु उप निरीक्षको व कान्स0 को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। थानों पर आपदा प्रबन्धन हेतु बचाव सामग्री जैसे टैन्ट, फ्लड लाईट, रस्सियाँ आदि उपलब्ध कराये गये हैं। वीआईपी के आगमन पर जनपद पुलिस के अलावा पीएसी बल को भी सुरक्षा डियूटी पर नियुक्त किया जाता है। पर्यटन पुलिस की जनपद में अलग से नियुक्ति नहीं है, थानों पर उपलब्ध पुलिस बल से ही पर्यटन डियूटी का कार्य लिया जा रहा है। चूँकि जनपद ऊधम सिंह नगर नैनीताल परिक्षेत्र का सामरिक दृष्टि से अति सवेदनशील जनपद है जहाँ पर हिन्दू, मूस्लिम एवं सिक्ख आदि समुदाय के सभी लोग निवास करते हैं। रूद्रपुर में गत वर्ष साम्प्रदायिक दंगे की घटना घटित हुयी हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से सभी सम्प्रदाय के सभ्रान्त लोगों की समय-समय पर गोष्ठिया आयोजित करके उनसे अपेक्षित सहयोग देने की अपील की जा रही है।

(मुकेश कुमार)  
अपर पुलिस अधीक्षक/  
लोकसूचना अधिकारी  
ऊधम सिंह नगर।

(नीलेश आन्नद भरणे)  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
ऊधम सिंह नगर।